28/4/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी / वादिका वकील को बार-बार कॉल करने पर न्यायालय समय में न्यायालय समय समाप्ति तक आवाज लगवाई गई बावजूद वकील वादी / वादिका उपस्थित नहीं हुए। अतः वादिया वकील को पक्ष अग्रसरता हेतु पेश में खारिज किया जाता है। प्रतिवादी को जाने का हक होगा हालांकि वादिका द्वारा दिनांक 28/4/22 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:36:22 IST
Reason: SelfAttested